

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2026 (आषाढ 29, 1948)

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें, जिन्हें सभा द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2026 को स्वीकार किया गया है, के अनुसार निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित किया गया है :-

क्र.	नाम	आवंटित समय
(1)	मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026)	2 घण्टे
(2)	मध्यप्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026)	1 घण्टा
(3)	मध्यप्रदेश धनवंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026)	30 मिनट
(4)	मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026 (क्रमांक 17 सन् 2026)	1 घण्टा
(5)	मध्यप्रदेश इज ऑफ डूईंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 18 सन् 2026)	1 घण्टा
(6)	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026)	30 मिनट
(7)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026)	30 मिनट
(8)	मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026)	1 घण्टा
(9)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026)	30 मिनट
(10)	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026)	30 मिनट
(11)	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 16 सन् 2026)	30 मिनट
(12)	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026)	30 मिनट

(13)	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026)	1 घण्टा
(14)	मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026)	15 मिनिट
(15)	वर्ष 2026-2027 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	1 घण्टा

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.